दांडिक पुनरीक्षण
बाल राज तुली न्यायमूर्ति के समक्ष
इशर दास, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

अमर नाथ, — *प्रतिवादी।*

दांडिक पुनरीक्षण 1971 *की सं.* 183

14 जून, 1972.

*दंड प्रक्रिया संहिता (*1898 का अधिनियम V) – *धारा* 197 *पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (*1953 *का IV)* – *धारा* 9 *और* 102 (2) – *सरपंच - चाहे वह केवल राज्य सरकार की मंजूरी से हटाया जा सके - उसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी - क्या धारा* 197 *के तहत* आवश्यक हो।

अभिनिर्धारित किया कि एक सरपंच पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 9 और 102 (2) के तहत अपने कार्यालय से हटाने योग्य है। धारा 9 के तहत, वह निदेशक की पूर्व अनुमति से आयोजित एक असाधारण आम बैठक में सभा के सदस्यों के वोटों के दो-तिहाई बहुमत से हटाने योग्य है और ग्राम सभा द्वारा इस तरह पारित निष्कासन के प्रस्ताव को निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाना है। धारा 102 (2) के तहत, सरकार उस उप-धारा में उल्लिखित किसी भी आधार पर सरपंच को हटा सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दो प्राधिकरण हैं जो एक सरपंच को उसके कार्यालय से हटा सकते हैं। जबकि सरकार की शक्ति सीमित और सीमित है, अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्ति बहुत व्यापक है। इसके लिए केवल असाधारण बैठक आयोजित करने के लिए निदेशक की पूर्व स्वीकृति और प्रस्ताव के लिए उनकी मंजूरी की आवश्यकता होती है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जा सकता है। हटाने का आधार वही हो सकता है जो अधिनियम की धारा 102 (2) या किसी अन्य आधार में उल्लिखित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दो प्राधिकरण हैं जिनके आदेश के तहत एक सरपंच को उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत पूर्व मंजूरी उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए अभियोजन के लिए आवश्यक नहीं है।

(पैरा 3,5).

श्री आरएस गुप्ता, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अम्बाला, दिनांक 20 अक्तूबर, 1970 के आदेश *की समीक्षा* के लिए सीआरपीसी की धारा 439 के तहत याचिका, जिसमें श्री एमएस नांगरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला के 19 दिसंबर, 1969 के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर *से* अधिवक्ता *केके अग्रवाल।*

प्रतिवादी की ओर *से* अधिवक्ता *बचित्तर सिंह।*

निर्णय

(1) ईशर दास याचिकाकर्ता ने 26 और 28 अक्टूबर, 1964 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अमर नाथ प्रतिवादी गांव शहजादपुर के सरपंच थे और उस क्षमता में उन्होंने ग्राम पंचायत की कुछ राशि का गबन किया था और इसके बही-खातों में झूठी प्रविष्टियां भी की थीं, जिससे धारा 409, 466 और 420 के तहत अपराध किया गया था। भारतीय दंड संहिता। हालांकि, पुलिस ने प्रतिवादी के खिलाफ केवल 6/- रुपये के गबन के संबंध में अदालत में आरोप पत्र दायर किया और अन्य आरोपों की जांच नहीं की। 21 फरवरी, 1966 को याचिकाकर्ता ने उपरोक्त धाराओं के तहत एक शिकायत दायर की, जिसे 19 दिसंबर, 1969 को अंबाला शहर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अदालत द्वारा शिकायत का संज्ञान लेने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक थी क्योंकि प्रतिवादी के खिलाफ कथित कदाचार के सभी कार्य उसके द्वारा किए गए थे। ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में उनकी क्षमता, अर्थात्, एक लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए और अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में। याचिकाकर्ता ने उस आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे अंबाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 20 अक्टूबर, 1970 के आदेश से खारिज कर दिया। वर्तमान याचिका विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत, दो शर्तों को सह-अस्तित्व में होना चाहिए, अर्थात्,

i. लोक सेवक को केवल राज्य सरकार या केंद्र सरकार की मंजूरी से या उसके साथ अपने कार्यालय से हटाने योग्य होना चाहिए; और
ii. लोक सेवक को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का इरादा रखते हुए उसके द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध का आरोपी होना चाहिए।

(3) हाथ में मामले में, दोनों स्थितियों में से कोई भी मौजूद नहीं कहा जा सकता है। प्रतिवादी की तरह एक सरपंच पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 9 और 102 (2) (इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाता है) के तहत अपने कार्यालय से हटाने योग्य है। धारा 9 के तहत, वह निदेशक की पूर्व अनुमति से आयोजित एक असाधारण आम बैठक में सभा के सदस्यों के मतों के दो-तिहाई बहुमत से हटाने योग्य है और ग्राम सभा द्वारा इस तरह से पारित निष्कासन के प्रस्ताव को निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाना है। धारा 102 (2) के तहत, सरकार उस उप-धारा में उल्लिखित किसी भी आधार पर सरपंच को हटा सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दो प्राधिकरण हैं जो एक सरपंच को उसके कार्यालय से हटा सकते हैं। जबकि सरकार की शक्ति सीमित और सीमित है, धारा 9 के तहत शक्ति बहुत व्यापक है। इसके लिए केवल असाधारण बैठक आयोजित करने के लिए निदेशक की पूर्व स्वीकृति और प्रस्ताव के लिए उनकी मंजूरी की आवश्यकता होती है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा

दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जा सकता है। हटाने का आधार वही हो सकता है जो अधिनियम की धारा 102 (2) या किसी अन्य आधार में उल्लिखित है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी को केवल राज्य सरकार द्वारा उसके कार्यालय से हटा दिया गया था।

(4) याचिकाकर्ता के वकील ने बसंत लाल बनाम *नेट राम* (1) मामले में शमशेर बहादुर, जे. के एक फैसले पर भरोसा किया है।, जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि पेप्सू पंचायत राज अधिनियम, 2008 बीके के तहत, एक सरपंच राज्य सरकार की मंजूरी से हटाने योग्य नहीं था और इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत उसके अभियोजन के लिए कोई पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं थी। पेप्सू पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 के तहत, सरपंच को एक साधारण बैठक में सभा के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से अपने कार्यालय से हटा दिया जाता था, यदि निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उस अधिनियम में पंजाबी ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 102 (2) के प्रावधानों के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं था, जो सरकार को सरपंच को उसके पद से हटाने का अधिकार देता हो। गुरदेव सिंह, जे., ने अजमेर सिंह बनाम राज्य (2) में फैसला सुनाया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत सरपंच के अभियोजन के लिए आवश्यक थी, क्योंकि अधिनियम की धारा 102 के तहत, सरपंच को केवल राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यालय से हटाया गया था। बसंत लाल *बनाम नेत राम* (1) मामले में फैसला (उपर्युक्त) को विद्वान न्यायाधीश के समक्ष उद्धृत किया गया था, लेकिन यह माना गया कि यह पेप्सू पंचायत राज अधिनियम, 2008 बीके की धारा 12 के प्रावधानों के कारण तथ्यों पर अलग था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों को विद्वान न्यायाधीश के संज्ञान में नहीं लाया गया था और न ही यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम के तहत कम से कम दो प्राधिकरण थे जो सरपंच को उसके कार्यालय से हटा सकते थे। इसलिए, इस निर्णय का कोई बाध्यकारी बल नहीं है।

1. 1961 पी.एल.आर. 872.
2. सीआर. आर. 1965 *की सं.* 430, 22.02.1966 को निर्णय लिया गया।

(5) यह मामला प्रीतम सिंह बनाम हरियाणा राज्य (3) न्यायाधीश गोपाल सिंह के समक्ष विचारार्थ आया था और विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दो प्राधिकरण हैं जिनके आदेशों के तहत एक सरपंच को उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है, उसके अभियोजन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी आवश्यक नहीं है।

3. सीआर. आर. 1969 *की सं.* 299, 10-12-1969 को फैसला किया।

मैं गोपाल सिंह, जे. द्वारा व्यक्त की गई राय से सम्मानपूर्वक सहमत हूं और मानता हूं कि इस मामले में प्रतिवादी के अभियोजन के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक नहीं थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रभु दयाई बनाम मिलाप चंद (4), पुखराज बनाम उम्मैदराम और अन्य (5), और रामदत्त और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (6) मामले में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। वे निर्णय लागू नहीं होते हैं क्योंकि राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के प्रावधान अलग हैं और पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।

(4) ए.आई.आर. 1959 राजस्थान 12.

(5) ए.आई.आर. 1964 राजस्थान 174.

(6) ए.आई.आर. 1966 राजस्थान 125.

(6) यहां तक कि इस मामले में संहिता की धारा 197 का दूसरा घटक भी गायब है। गबन और खातों की जालसाजी के कथित कृत्यों को प्रतिवादी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया नहीं कहा जा सकता है। इस मामले को शमशेर बहादुर, जे. ने *बसंत लाई* बनाम *नेत राम* (1) (उपर्युक्त) *में निपटाया है।* और सम्मान के साथ मैं विद्वान न्यायाधीश द्वारा कही गई बातों से पूरी तरह सहमत हूं।

(7) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, मैं मानता हूं कि संहिता की धारा 197 के तहत प्रतिवादी के अभियोजन के लिए पंजाब सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और शिकायत को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत के आदेश को रद्द करता हूं। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार शिकायत पर फैसला करने के लिए आगे बढ़े। पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 10 जुलाई, 1972 को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

एन.के.एस.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी